संख्या-24/2015/1063/94/स्टा0नि0-2015-700(01)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक निबन्धन,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समत मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समत जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2015

विषय- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनपद स्तर पर स्टाम्प कलेक्टर यथा जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा उप-जिलाधिकारियों के न्यायालयों में काफी संख्या में स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा-33 व 47ए(1) एवं 47ए(3) के अन्तगत स्टाम्पवाद योजित है,जिनमें राज्य सरकार की राजस्व क्षति का बिन्दु निहित है। इन वादों के त्वरित गति से निस्तारण से जहाँ राज्य को इंगित स्टाम्प कमी के सापेक्ष धनराशि शीध्र प्राप्त हो सकेगी, वही सबंधित पक्षकारों को भी न्याय में विलम्ब के कारण बढ़ने वाली ब्याज की देयता से राहत प्राप्त होगी।

2- प्रदेश स्तर पर स्टाम्पवाद के निस्तारण की विषद विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन वादों के निर्णय में बहुधा अतार्किक एवं बिना सम्यक आधार के अत्याधिक अर्थ-दण्ड आरोपित किया जाता है, जिससे वादकारियों द्वारा स्टाम्प अपवंचन में निहित धनराशि न जमा कर अर्थदण्ड समाप्त कराने हेतु अपील/रिट योजित की जाती है। इस कारण राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की मूल धनराशि भी समय से प्राप्त नही हो पाती है एवं प्रकरण अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी में उलझ जाता है।

3- स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण के लिए, उसमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीध्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना निम्नवत क्रियान्वित की जायेगी-

(1) सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकार अपने न्यायालय में लम्बित समस्त स्टाम्पवादों में पक्षकारों को इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर एक नोटिस प्रेषित करेगे,जिससे वाद के सभी सम्बन्धित पक्षकारों को इस योजना का सम्यक् ज्ञान हो जाए।

(2) दिनांक 31.10.2015 तक योजित स्टाम्प कमी के किसी भी वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने को इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रार्थाना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित न्यायालय में पीठासीन अधिकारी, ऐसे प्रार्थाना-पत्र के प्राप्त होते ही सम्बन्धित वाद में एक पक्ष के अन्दर तिथि नियत करते हुए (आवयकता होने पर पूर्व नियत तिथि को संशोधित करते हुए इसी अवधि में संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

(4) संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की पुष्टि के उपरान्त न्यायालय उक्त नियत तिथि को पक्षकार को पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि तथा ब्याज एवं रू010 के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार के मद संख्या-0030 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में जमा करने हेतु अवगत करायेंगे।

(5) प्रश्नगत वाद में उक्त समाधान योजना के अन्र्तगत विनिश्चित की गयी धनराशि जमा कराये जाने की रसीद के साथ प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि न्यायालय के कर्मचारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अगली तिथि नियत करके पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(6) तत्पश्चात न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्टाम्प कमी एवं ब्याज की धनराशि मय अर्थदण्ड के कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत रसीद के दृष्टिगत वाद को रू010 मात्र के टोकन अर्थ-दण्ड के साथ निस्तारित कर देंगे।

(7) इस प्रकार कमी की धनराशि एवं नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि की अदायगी के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रलेख पर स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-42 के अर्न्तगत प्रमाण-पत्र अंकित करने के साथ ही यह वाद स्टाम्प प्रभार्यता के सम्बन्ध में अंन्तिम रूप से निस्तारित माना जायेगा।

(8) यह समाधान योजना अगले 4 माह (नवम्बर, दिसम्बर 2015, जनवरी एवं फरवरी 2016) की अवधि तक प्रभावी रहेगी। किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में, अर्थात् 29 फरवरी, 2016 से पूर्व पुष्टि की गई स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज एवं रू010 के टोकन अर्थ-दण्ड के साथ जमा कराने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा।

4- उपरोक्त योजना के अन्र्तगत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार द्वारा प्रार्थाना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के एक माह के अदर वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

5- उपरोक्त योजना को जनपद स्तर पर विज्ञप्ति के माध्यम से तथा विभिन्न कार्यालयों एवं न्यायालयों में सूचनापटों पर स्पष्ट सूचना के आधार पर तथा अन्य माध्यमों से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाय, जिससे जो पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी को देकर अपने वाद निस्तारण कराने का इच्छुक हो उन्हें नियत अवधि में यह अवसर प्राप्त हो सके।

6- समस्त जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करगे कि उनके जनपद के सभी कलेक्टर स्टाम्प के न्यायालयों में लम्बित स्टाम्पवादों में ऐसा कोई प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष नही है,जिसमें पक्षकार के द्वारा इंगित स्टाम्प कमी को जमा कराते हुए अपने वाद के निस्तारण का प्रार्थाना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उसका वाद निस्तारित नही किया गया है।

7- इस अवधि में उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत निस्तारित प्रकरणों के संदर्भ में प्रत्येक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प निस्तारित प्रकरणों की संख्या एवं उसमें आरोपित एवं वसूल की गयी स्टाम्प कमी का विवरण आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायगे।

संलग्न- नोटिस का प्रारूप

भवदीय,
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(1) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव